कार्यरत हैं। उन्हें अचानक नए स्कूल, नई जगह और जिलों में भेज दिया जाएगा।

पिछले पांच सालों में देश के विभिन्न राज्यों मसलन राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि में सरकारी स्कूलों में ताले लग चुके हैं। राजस्थान में तकरीबन 17,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। बंद हुए स्कूलों के बच्चों को स्थानीय अन्य स्कूलों में दाखिला दे दिया गया। उससे भी ज़्यादा यह कि सरकारी स्कूलों को निजी कंपनियों के हाथों सौंप दिया गया। एनजीओ सरकार के साथ मिल कर राजस्थान के जयपुर में ही सौ से ज्यादा स्कूलों में इंटरवेंशन कर रही है। हालांकि इन स्कूलों में सरकारी टीचर नहीं रहे। बल्कि एनजीओ की ओर प्रशिक्षित शिक्षकों की मदद ली जा रही है। उसी तरह उत्तराखंड में भी 35,00 से ज़्यादा सरकारी स्कूल 2015-16 में बंद हो चुके हैं। वहां अन्य फाउंडेशन स्कूलों में अपने शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य करा रहे हैं।

आरटीइ फोरम के संयोजक श्री अंबरीश राय पिछले छह सालों से बल्कि 2009 से ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी स्कूलों में प्रशिक्षित और स्थाई शिक्षकों की भर्ती की वकालत तो कर ही रहे हैं। साथ ही सरकारी स्कूलों को बंद होने से कैसे बचाएं इस बाबत सरकार और न्यायपालिका में आवाज़ उठाते रहे हैं। इनका मानना है कि सरकार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। अंबरीश राय आरटीइफोरम के माध्यम से देश भर में एसएससी, शिक्षकों के खाली पदों को भरने आदि बुनियादी सवालों को उठाते रहे हैं। केवल एक संस्था ऐसे गंभीर सवाल उठाए या आवाज़ बलंद करे यह कहीं लिखा है। बल्कि नागर समाज को सरकारी स्कूलों को बंद होने से बचाना होगा। श्री अंबरीश राय मानते हैं कि स्कूलों को मर्जन नहीं बल्कि यह सीधे सीधे सरकारी स्कूलों को बंद करना है। सरकारी निजी कंपनियों के हाथों प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का खेल खेल रही है। ताज्जुब की बात है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं उससे स्कूलों में जाने वाली लड़कियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। वे स्कूल से ड्राप आउट हो जाएंगी। अंबरीश राय मानते हैं कि पिछले पांच सालों में कम से कम डेढ़ लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। इनके पीछे तर्क यह दिया गया कि बच्चे कम हैं। जबकि उन बच्चों को स्कूलों में कैसे लाएं इसके प्रति सरकार सचेत नहीं है।

आरटीइ एक्ट के अनुसार एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल मुहैया कराना न केवल सरकार की नैतिक बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। इससे सरकारें बच नहीं सकतीं। जब राजस्थान में 17,000 स्कूलों को बंद किया गया तब नागर समाज ने आवाज़ उठाई। तब जाकर सरकार को 3000 स्कूलों को दोबारा खोलना पड़ा। आज न केवल ओडिशा राज्य बल्कि देश के अन्य राज्यों में इन्हीं लचर तर्कों को आधार बना कर सरकारी स्कूलों को बंद कर निजी हाथों में दिया जाना दुर्भाग्य है।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य, सतत् विकास लक्ष्य, सब के लिए शिक्षा की घोषणा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके तहत 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के प्रति सरकारी जिम्मेदार है। लेकिन अफसोसनाक हक़कीत यही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचने की कोशिश कर रही है। वहीं ग्लोबल एजूकेशन मोनिटरिंग रिपोर्ट जीइएमआर 2017-18 की मानें तो शिक्षा में जिम्मेवारी तय करना बेहद जरूरी है। इनमें सरकार, नागर समाज, शिक्षक, स्कूली पाठ्यपुस्तकें आदि भी शामिल हैं। सतत् विकास लक्ष्य की समय सीमा बढ़ाकर 2030 किया गया है। माना जा रहा है कि इस समय तक हम सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक, समान शिक्षा प्रदान कर देंगे। लेकिन आज की गति और नीति को देखते हुए यह अनुमान लगाना जरा भी कठिन नहीं है कि हमें 2030 में एक बार फिर समय सीमा बढ़ानी पड़े।

समग्रता में देखें तो यह डिजिटल इंडिया और कौशल भारत के चेहरे पर कुछ ऐसे दाग धब्बे हैं जो कुछ सरकारी तर्कों से नहीं साफ हो सकते। तर्कों को समाधान की ओर मोड़ने की जिम्मेदारी सरकार और नागर समाज को लेनी होगी। नागर समाज और सरकार दोनों ही मिलकर इच्छा शक्ति और योजना बनाएं कि कैसे सरकारी स्कूलों को बचाना है तो यह असंभव नहीं हैं। संभावनाएं कुशल योजनाओं, रणनीतियों के आधार पर सपनों को साकार कर सकती हैं।

यूपीकोका के जरिये संगठित अपराध की कमर तोड़ना चाहते हैं योगी

यूपीकोका लागू हो जाता है तो सभी सरकारी विभागों में जो भी ठेकेदार होंगे उनकी सूची, हैसियत और इतिहास विभाग की वेबसाइट पर रखना अनिवार्य होगा। दागी ठेकेदारों की सूची विभाग के अलावा यूपी पुलिस की वेबसाइट पर भी होगी। थानों और संबंधित विभागों के कार्यालयों में भी इस सूची को टांगा जाएगा। वहीं झूठे प्रमाणपत्र बनाने वालों को भी भी सजा मिलेगी। ठेकों-पट्टों के लिए संगठित अपराधियों के झूठे चरित्र प्रमाणपत्र बनाने और फर्जी सत्यापन करने वालों को संगठित अपराध सिंडिकेट का मददगार मानते हुए ऐसे मददगारों को भी सजा दी जाएगी। यूपीकोका के तहत अगर कोई आरोपित दूसरी बाद दोषी साबित होता है तो उसकी सजा और सख्त हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के समय बीजेपी नेताओं ने अखिलेश राज में %जंगलराज% को बड़ा मुद्दा बनाया था। ठीक ऐसे ही 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुलायम की सरकार को बिगड़ी कानून व्यवस्था पर घेरा था, दोनों ही बार समाजवादियों को मुंह की खानी पड़ी थी। 2007 में मुलायम और 2017 में अखिलेश के लिये प्रदेश की बद से बदतर कानून व्यवस्था सिरदर्द बनी थी, लेकिन बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, इसीलिये वह हर वह कदम उठा रहे हैं जिससे जनता में विश्वास जगे और अपराधियों के हौसले पस्त हों।

योगी राज में कई ईमानी बदमाश मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं तो कई या तो चुप बैठ गये हैं अथवा प्रदेश छोड़कर भाग गये हैं, जिसके चलते संगठित अपराध कम तो जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हो पाया है। इसकी बड़ी वजह है कानून की खामियों का अपराधियों द्वारा फायदा उठाया जाना। अपराधी अपराध करते हैं और कुछ दिनों बाद जमानत पर छूट जाते हैं, जिस वजह से अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। योगी सरकार इसीलिये यूपीकोका कानून बनाने जा रही थी, लेकिन विधानसभा में यह पास होने के बाद विधान परिषद में बहुमत नहीं होने के कारण इस कानून में अड़ंगे लगा दिये गये। अब यह कानून प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। एक महीने में प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन एक महीने में रिपोर्ट आ जायेगी और यह विधान परिषद से पास हो जायेगा, इस बात की संभावना काफी कम है क्योंकि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस, सपा और बसपा एक सुर में इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के पास यह ही रास्ता बचेगा कि आर्डिनेंस लाकर राज्यपाल के माध्यम से इसे लागू करा दिया जाये।

बात विपक्ष की कि जाये तो उसे लगता है कि यूपीकोका के द्वारा बीजेपी अपने विरोधियों को प्रताड़ित करके जेल में डाल देगी। मायावती को लगता है कि इसका उपयोगी दलितों और अकलियत के खिलाफ होगा। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर यूपीकोका को लेकर राजनैतिक दलों में इतनी बेचैनी क्यों है। इसकी वजह है यूपीकोका के कई कड़े प्रावधान। यूपीकोका लागू हो जाता है तो इसके तहत लोग सरकारी सुरक्षा के साथ निजी सुरक्षा लेकर नहीं चल पाएंगे। अगर किसी शख्स ने ऐसा किया तो सरकारी सुरक्षा तो वापस होगी ही, शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। इस कानून के बनने के बाद किसी भी संगठित अपराध से जुड़े व्यक्ति को सरकारी सुरक्षा नहीं मुहैया हो पायेगी। यूपीकोका के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास शस्त्र लाइसें स हो, वह तीन या इससे अधिक शस्त्र लाइसेंसधारियों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान जहां कोई धरना हो रहा हो या ठेके की बोली लग रही हो, नहीं जा सकेगा। अगर वह ऐसा करता है तो ऐसी दशा में भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं संगठित अपराधियों या उनके सिंडीकेट के पक्ष में किसी सूचना को बिना कानूनी अधिकार के देना या कहीं प्रकाशित करना भी संगठित अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। संगठित अपराधियों से जुड़े दस्तावेज या सामग्री को आगे भेजना, उसका प्रकाशन और वितरण भी अपराध की श्रेणी में यूपीकोका के तहत रखा गया है।

यूपीकोका लागू हो जाता है तो सभी सरकारी विभागों में जो भी ठेकेदार होंगे उनकी सूची, हैसियत और इतिहास विभाग की वेबसाइट पर रखना अनिवार्य होगा। दागी ठेकेदारों की सूची विभाग के अलावा यूपी पुलिस की वेबसाइट पर भी होगी। थानों और संबंधित विभागों के कार्यालयों में भी इस सूची को टांगा जाएगा। वहीं झूठे प्रमाणपत्र बनाने वालों को भी भी सजा मिलेगी। ठेकों-पट्टों के लिए संगठित अपराधियों के झूठे चरित्र प्रमाणपत्र बनाने और फर्जी सत्यापन करने वालों को संगठित अपराध सिंडिकेट का मददगार मानते हुए ऐसे मददगारों को भी सजा दी जाएगी। यूपीकोका के तहत अगर कोई आरोपित दूसरी बाद दोषी साबित होता है तो उसकी सजा और सख्त हो जाएगी। जैसे अगर उसे पहले अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली है तो दूसरे अपराध पर उसे मृत्युदंड या उम्रकैद के साथ 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा मिलेगी। यदि उसे पांच या दस वर्ष की सजा मिली है तो अगले अपराध पर उसे उम्रकैद और 25 लाख जुर्माने लगेगा। अर्थदंड देने में विफल होने पर प्रति लाख एक माह की जेल और काटनी होगी।

संभावित नये कानून के तहत सरकारी गवाह बनने वाले को विशेष सुरक्ष मुहैया कराई जायेगी। न्यायालय उन व्यक्तियों को माफी दे सकेगा जो इस मामले में अपराध और उससे जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका के बारे में सही तथ्यों को बता देंगे। भले ही आरोपित मुख्य साजिशकर्ता हो या उस अपराध का हिस्सा रहा हो। आरोपितों को 14 दिन का समय दिया जायेगा, जिन आरोपितों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, उन्हें कोर्ट उससे जुड़े अभिलेखों की प्रतियां देगा। प्रतिलिपि मिलने के 14 दिन के अंदर आरोपित को गवाहों की सूची, अन्य साक्ष्यों के बारे में बताना होगा कि वह उनके जरिए क्या साबित करना चाहता है। इसके बाद यह जानकारी अभियोजन पक्ष से साझा की जाएगी। अभियोजन पक्ष फिर अपना पक्ष दाखिल करेगा, जिसकी कॉपी आरोपित को दी जाएगी। आरोपित को फिर इसका जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय मिलेगा।

इसी तरह से यूपीकोका के तहत विशेष अदालतें बिना आरोपित की पेशी हुए पुलिस रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट का संज्ञान ले लेंगी और उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोर्ट के पास सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अगर सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट को लगता है कि यह मामला उसके द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह संबंधित कोर्ट को हस्तांतरित कर सकेगा। विशेष न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। यूपीकोका के लिये तीन प्राधिकरण बनेंगे। सरकार की तरफ से बनने वाले राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण में प्रमुख सचिव (गृह) अध्यक्ष, एडीजी कानून एवं व्यवस्था, एडीजी क्राइम और न्याय विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे। जिला स्तर पर जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण होगा। इसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, एएसपी और वरिष्ठ लोक अभियोजक सदस्य होंगे। एक अपीलीय प्राधिकरण भी बनेगा। इसमें हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज अध्यक्ष, सरकार का प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी और डीजी स्तर का अधिकारी सदस्य होगा। योगी ने जिस तरह से यूपीकोका को लेकर हठ पाल रखा है, उससे तो यही लगता है यह साकार हो ही जायेगा, बस समय का फेर है।